राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1925/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–'एच', जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री शाइन ग्लास स्टोन प्रा0 लिमिटेड, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 24/11/2017

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–एच, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 178/अपील्स–।।/आरएसटी/जयपुर/एच/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2008 को पारित किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत 'ग्लास चैटन्स' पर 2 प्रतिशत की दर से करदेयता को स्वीकार किया गया था। ऑडिट आक्षेप में उक्त माल पर 12 प्रतिशत की दर से करदेयता के आक्षेप के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण को अधिनियम की धारा 30 के तहत पुनः खोलते हुए 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं तद्नुसार ब्याज कुल रूपये 64,739/– का आरोपण आदेश दिनांक 27.11.2009 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस पर सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल **'ग्लास चैटन्स'** के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **(1986) 6 टी.बी.आर. 366 मैसर्स सुलतान सिंह चिमन सिंह बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं,** जिसमें 'ग्लास चैटन्स' को 'सिन्थेटिक जैम्स' की श्रेणी में माना गया था, एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2005, जिसमें 'सिन्थेटिक्स जैम्स' पर 2 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी थी, के आलोक में विवादित माल पर 2 प्रतिशत की दर से करदेयता अवधारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया है। उक्त स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल ऑडिट आक्षेप के अनुसरण में विधिक प्रावधानों व न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किये बिना आदेश पारित किया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी तरह की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य